न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या

उपस्थितः रणंजय कुमार वर्मा ..... एच०जे०एस०

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 185/2026

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 396/2026]

[CNR No. UPFZ010010942026]

बीनू सिंह पत्नी अमर बहादुर, निवासी खीरगली फतेहगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या।

.....प्रार्थिनी/अभियुक्ता

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

---

1. प्रार्थिनी/अभियुक्ता की तरफ से जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 185/2026, मुकदमा अपराध संख्या 39/2026, अन्तर्गत धारा 109(1), 115(2), 333, 352, 351(3) भा०न्या०सं०, थाना कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या के अभियोग में प्रस्तुत है।

2. प्रार्थिनी/अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध है। मजिस्ट्रेट द्वारा उसका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होकर सत्यापित प्रति संलग्न पत्रावली है।

3. प्रार्थिनी/अभियुक्ता के अनुसार उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उसकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

4. प्रार्थिनी/अभियुक्ता की तरफ से यह तर्क किया गया कि वह निर्दोष है। प्रस्तुत मामले में उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा न तो किसी को मारा पीटा गया है और न ही गाली गुप्ता दिया गया है। चोटहिल की सभी चोटें साधारण प्रकृति की है। वह दिनांक 24.01.2026 से जेल में निरूद्ध है। वह जमानत देने के लिये तैयार है। अतः उसे जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

5. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक एवं वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का विरोध किया गया।

6. सुना एवं सम्यक् अभिलेखों का परिशीलन किया।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी नेहा यादव मुकदमा अपराध संख्या 631/2025 में विपक्षी की अधिवक्ता है, जिससे उक्त मुकदमे की वादिनी मुकदमा बीनू

Digitally signed by RANJANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.03.07 19:24:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सिंह वादिनी से रंजिश रखने लगी। दिनांक 22.01.2026 को सुय लगभग शाम 6.00 बजे विपक्षी बीनू सिंह, ऋद्या सिंह व अमर बहादुर वादिनी के घर के अन्दर घुस गयी व वादिनी की माता मीना देवी को मां–बहन की भद्दी–भद्दी गाली देते हुये लात, घूंसे व डण्डे से मारने पीटने लगी। वादिनी बचाने पहुंची ऋद्या सिंह ने वादिनी के ऊपर धारदार हथियार से वार कर दिया। विपक्षीगण वादिनी के माता की कान की सोने की बाली व मंगलसूत्र छीन कर जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। मामले में विवेचनोपरान्त अन्तर्गत धारा 115(2), 333, 352, 351(3) भा०न्या०सं० में आरोपपत्र प्रेषित है। पत्रावली पर उपलब्ध चोटहिलों की आघात आख्याओं चोटें साधारण प्रकृति की होना अंकित है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता महिला है एवं दिनांक 24.01.2026 से जेल में निरूद्ध है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये जमानत का संतोषजनक आधार है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/अभियुक्ता की तरफ से प्रस्तुत जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 185/2026, मुकदमा अपराध संख्या 39/2026, अन्तर्गत धारा 109(1), 115(2), 333, 352, 351(3) भा०न्या०सं०, थाना कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या के अभियोग में स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता को उसके द्वारा अपराध उपरोक्त में रूपये 50,000 (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या
JO CODE: UP1908

दिनांकः 07.03.2026